

बरेली ज़ोन के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी



आवंटन/नीलामी
तिथि : 31-10-2012
समय : 11.00 बजे

स्थल: सामुदायिक केन्द्र, बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद

(अ) लाटरी ड्रा द्वारा आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|--|-------------------------|------------------|--------------|
| बैम्बे योजना सी०बी० गंज, बरेली | | | |
| बैम्बे भवन-1 नग (निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा) | 25.00 | 0.20 | 0.05 |

(ब) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|--|-------------------------|------------------|--------------|
| राजेन्द्र नगर योजना संख्या-2, बरेली | | | |
| हाल्स प्रथम तल-एच-3, एच-4 (02 नग) | 77.55 | 26.98 प्रति नग | 2.70 |
| दुकानें (ई-ब्लाक) एस-6, 11, 13 (03 नग) | 16.00 | 10.35 | 1.05 |
| दुकान (ई-ब्लाक) 12 (01 नग) | 39.954 | 25.83 | 2.62 |
| बरेली मोड़ यो० सं०-03, शाहजहाँपुर | | | |
| मध्यम आय वर्ग भवन (53/127 प्रकार) | | | |
| 1/1 (कार्नर) (01 नग) | 205.50 | 19.07 | 1.91 |
| व्यावसायिक भूखण्ड | | | |
| 1/कॉम-7 (01 नग) | 533.51 | 10842 प्र.व.मी. | 5.79 |
| 1/कॉम-8 से 10, 1/कॉम-11 (04 नग) | 509.00 | 9856 प्र.व.मी. | 5.02 |
| 1/कॉम-12 (01 नग) | 852.57 | 10842 प्र.व.मी. | 9.25 |
| कम्युनिटी सेन्टर-सी.सी.-5/1 (01 नग) | 4352.25 | 5324 प्र.व.मी. | 23.18 |

टैगोर नगर योजना पीलीभीत

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| दुकानें (14 नग) | | | |
| एस-2 | 10.47 | 4.97 | 0.50 |
| एस-3 | 10.36 | 4.92 | 0.50 |
| एस-4 | 10.26 | 4.87 | 0.49 |
| एस-5 | 9.96 | 4.73 | 0.48 |
| एस-6 | 10.82 | 5.14 | 0.52 |
| एस-7 | 10.74 | 5.10 | 0.51 |
| एस-8 | 11.30 | 5.365 | 0.54 |
| एस-9 | 11.62 | 5.515 | 0.56 |
| एस-10 | 10.64 | 5.05 | 0.51 |
| एस-11 | 10.64 | 5.05 | 0.51 |
| एस-12 | 11.25 | 5.34 | 0.54 |
| एस-14, एस-15 | 10.64 | 5.05 | 0.51 |
| एस-16 | 11.62 | 5.515 | 0.56 |

नोट: आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में अनारक्षित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर आवंटन कर दिया जायेगा।

(अ) लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद | | | | |
| 40 से 50 वर्गमी० तक (आर1-ए1) | 820 | 40 से 50 | 9744.00 प्र.व.मी. | 0.25 |
| 51 से 80 वर्गमी० तक (आर1-ए2) | 34 | 51 से 80 | 9744.00 प्र.व.मी. | 0.39 |
| 81 से 170 वर्गमी० तक (आर1-बी) | 9 | 81 से 170 | 9744.00 प्र.व.मी. | 0.83 |
| 251 वर्ग मीटर से अधिक (आर1-डी) | 01 | 312.50 | 9744.00 प्र.व.मी. | 1.53 |

नोट: आवासीय सम्पत्तियों हेतु टोकन मनी के रूप में सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत एवं गैर आवासीय सम्पत्तियों में टोकन मनी के रूप में सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो "उ०य० आवास एवं विकास परिषद" के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रथमा पत्र निर्धारित आवंटन पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील बिड आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील बिड आवंटन की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय में दी जा सकती है। बैंक/नकद स्वीकार नहीं होगा। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से की जा सकती है।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

योजना/शहर का नाम..... भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल..... आवेदक का नाम..... पिता/पति का नाम..... पत्र व्यवहार का पता..... स्थायी पता..... दूरभाष/मोबाइल नं०..... ई-मेल आई.डी..... आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)..... संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... निर्गतकर्ता बैंक का नाम..... धनराशि..... भुगतान का विकल्प..... आवेदक का नाम व हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान.....

सील बिड का प्रारूप

योजना/शहर का नाम..... सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... आरक्षित मूल्य..... आफर मूल्य/दर..... (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं), टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु०..... बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक..... नाम..... पिता/पति का नाम..... आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)..... पत्र व्यवहार का पता..... दूरभाष/मोबाइल नं०..... ई-मेल आई.डी..... दिनांक/स्थल/नाम-पिता/पति का नाम-संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....

घोषणा पत्र का प्रारूप (आवेदन एवं सील बिड दोनों के साथ आवश्यक)

1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ/सम्पत्ति जहाँ है जैसे है, के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। 3. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की समस्त श्रोतों से आय रु०..... से अधिक नहीं है। 4. मुझे उ०य० आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि..... स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे कहें

जनसुविधा केन्द्र

परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| बैम्बे योजना, रामपुर | | | | |
| बैम्बे भवन-ए-15, 188, 203, 279, 356, बी-104, 131, 161, 197, 198 (डूडा, रामपुर द्वारा चयनित लाभार्थियों के मध्य आवंटन किया जायेगा) | 10 | 25.01 | 20000 प्र.व.मी. | 0.05 |

(ब) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| मझोला योजना-4, भाग-2 मुरादाबाद | | | | |
| प्रीमियम हाउसिंग भू० सं० पीएच/6ए-09 | 01 | 372.39 | 14616.00 प्र.व.मी. | 5.45 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 5/जीएच/1 | 01 | 5037.00(कार्नर) | 16078.00 प्र.व.मी. | 80.98 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 5/जीएच/2 | 01 | 4432.00(कार्नर) | 16078.00 प्र.व.मी. | 71.26 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 5/जीएच-3 | 01 | 1750.00(कार्नर) | 16078.00 प्र.व.मी. | 28.14 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 7/ई-1 | 01 | 10850.00 | 14616.00 प्र.व.मी. | 158.59 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 7/ई-2 | 01 | 9680.00(कार्नर) | 16078.00 प्र.व.मी. | 155.64 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 7/ई-3 | 01 | 5031.00(कार्नर) | 16078.00 प्र.व.मी. | 80.89 |
| ग्रुप हाउसिंग भू० सं० 7/ई-4 | 01 | 8424.00 | 14616.00 प्र.व.मी. | 123.13 |

(स) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक/आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| जिगर विहार योजना, मुरादाबाद | | | | |
| कम्युनिटी सेन्टर भू० कम्युनिटी सेन्टर(लीज पर) | 01 | 928.00 | 11000.00 प्र.व.मी. | 10.21 |
| बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद | | | | |
| व्यावसायिक भू०-4ए-कॉम-सी.पी.-01(कार्नर) | 01 | 421.54 | 22176.00 प्र.व.मी. | 9.35 |
| मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद | | | | |
| कम्युनिटी सेन्टर- 6 ए/01(लीज पर) | 01 | 4613.13 | 9570.00 प्र.व.मी. | 44.15 |
| व्यावसायिक भू०-6ए/01, कार्नर(अनु०जाति) | 01 | 640.00 | 21437.00 प्र.व.मी. | 13.72 |
| व्यावसायिक भू०-सी०पी० 7 सी/1बी | 01 | 2388.83 | 19488.00 प्र.व.मी. | 46.56 |
| व्यावसायिक भू०-6ए/02, 5(अन्य पिछड़ा वर्ग) | 02 | 480.00 | 19488.00 प्र.व.मी. | 9.35 |
| व्यावसायिक भू०-सी.पी. 7सी/1ए कार्नर | 01 | 2236.15 | 21437.00 प्र.व.मी. | 47.94 |
| व्यावसायिक भू०-6ए/03, 04, 06 (अनारक्षित) | 03 | 480.00 | 19488.00 प्र.व.मी. | 9.36 |
| व्यावसायिक भू०-सी०पी० 7सी/1सी कार्नर | 01 | 2337.00 | 21437.00 प्र.व.मी. | 50.10 |
| व्यावसायिक भू०-7बी/1ए कार्नर | 01 | 2082.01 | 21437.00 प्र.व.मी. | 44.63 |
| व्यावसायिक भू०-7बी/1बी | 01 | 2354.55 | 19488.00 प्र.व.मी. | 45.89 |
| व्यावसायिक भू०-7बी/1सी कार्नर | 01 | 2139.22 | 21437.00 प्र.व.मी. | 45.86 |
| व्यावसायिक भू०-7डी/01 कार्नर | 01 | 3268.00 | 21437.00 प्र.व.मी. | 70.06 |

उक्त नवविकसित सम्पत्ति की नीलामी में परिषद नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद | | | | |
| दुकानें एस-71 | 01 | 17.49 | 6.82 | 0.69 |
| दुकानें एस-72, 73 | 02 | 16.89 | 6.59 | 0.66 |
| दुकानें एस-81, 82, 83, 84 | 04 | 16.52 | 5.91 | 0.60 |
| नवविकसित दुकानें-इन दुकानों में नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करने के उपरान्त नीलामी की जायेगी। | | | | |
| एस.एफ.एस.-71 | 01 | 16.07 | 8.16 | 0.82 |
| एस.एफ.एस.-60 | 01 | 13.38 | 6.80 | 0.68 |
| एस.एफ.एस.-62, 88, 89 | 03 | 7.73 | 3.93 | 0.40 |
| एस.एफ.एस.-75 | 01 | 4.00 | 2.04 | 0.21 |
| एस.एफ.एस.-81 | 01 | 3.99 | 2.03 | 0.21 |
| एस.एफ.एस.-82, 85 | 02 | 3.77 | 1.92 | 0.20 |
| एस.एफ.एस.-64 | 01 | 3.74 | 1.91 | 0.20 |

सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| कम्युनिटी सेन्टर भूखण्ड कम्युनिटी सेन्टर (लीज पर) | 01 | 13171.77 | 6413.00 प्र.व.मी. | 8.80 |
| दुकानें एस-10, 11, 12, 13, 14, 15 | 06 | 11.22 | 7.45 | 0.75 |
| दुकानें एस-16 | 01 | 11.66 | 7.88 | 0.79 |

भागीरथी योजना, बिजनौर

| सम्पत्तियों का प्रकार व संख्या | सम्पत्तियों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमी० में) | आरक्षित मूल्य/दर | बयाना धनराशि |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| दुकानें एस-4, 5, 8, 9, 10 | 05 | 9.61 | 5.71 | 0.57 |
| दुकानें एस-3 | 01 | 18.18 | 10.71 | 1.07 |

नियम व शर्तें :- 1. समस्त आवेदनों के साथ विज्ञापन में नीचे अंकित प्रारूप पर घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 2. आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं नीलामी हेतु सील बिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिए सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में रु० 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 3. सील बिड ऑफर अंकित करते हुये रु० 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी में एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 4. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिड संबंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है-कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ०य० आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली (सभी नगरों हेतु) 5. सम्पत्ति संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 6. आवंटन हेतु निर्धारित आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेश संबंधी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 7. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो "उ०य० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में संबंधित शहर में देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र एवं सील बिड दिनांक 30.10.2012 को सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 8. अर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहाँ हैं, जैसी हैं' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति की लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 10. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा। 11. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केंबल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 12. एक आवेदक एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र व पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। सफलता की स्थिति में एक भवन/भूखण्ड देय होगा एवं शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 13. आरक्षित वर्ग हेतु आवंटित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर सामान्य आवेदकों के मध्य नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। 14. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु नीलामी हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट: <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखा जा सकता है। 15. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226 001

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in